बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

का०आ०सं०–निग / सारा (एन०एच०) आरोप–42 / 2017 पटना, दिनांक–.....

श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति, पथ प्रमण्डल संख्या–01 औरंगाबाद के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये BC कार्य एवं कि०मी० 1.10 से 1.11 में ROB के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता एवं विलम्ब के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–15 सहपठित ज्ञापांक–346 (ई) अनु० दिनांक–19.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत् कुल 02 (दो) आरोप निम्नवत् गठित किये गये :–

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में Job No.-101-BR-2016-17-1547 के तहत् स्वीकृत PR कार्य जून–2017 में पूर्ण कराया गया है, परन्तु इस पथांश में कराया गया BC कार्य जून–2017 में ही अधिकांश भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। BC का कार्य तुरन्त उखड़ जाना काफी खराब गुणवत्ता का साक्ष्य है। Centre Line Marking का कार्य भी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया।

(ii) राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 1.10 से 1.11 पथांश में स्वीकृत ROB के निर्माण कार्य का एकरारनामा दिनांक–25.05.2017 को कर लिया गया, परन्तु जमीन के अभाव में निरीक्षण की तिथि दिनांक–19.09.2017 तक Appointed Date नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्य अत्यधिक Delayed हुआ, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं जिम्मेदारी के बोध की कमी है।

2. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–35 अनु० दिनांक–04.04.2022 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् इनके विरूद्ध गठित उक्त दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरान्त आरोप संख्या–(ii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य पाया गया एवं आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष असहमति योग्य पाया गया।

3. आरोप संख्या–(i) के संबंध में संचालन पदाधिकारी के द्वारा इस आधार पर अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया कि अगस्त, 2017 में गोपालगंज जिला अन्तर्गत भीषण बाढ़ आ जाने के कारण गंडकी बांध टूट गया था, जिसके फलस्वरूप आलोच्य पथांश के ऊपर बाढ़ का पानी over top कर गया। फलतः परिस्थितिजन्य एवं आपदाजनित स्थिति में BC कार्य क्षतिग्रस्त हो गया था। मामले की विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–19.09.2017 के कंडिका–05 में स्पष्ट उल्लेख है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक–08.06.2017 एवं 12.07.2017 के निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से आलोच्य पथांश को विशिष्टियों के अनुरूप ठीक कराने का निदेश दिया गया। उनके आदेश के अनुरूप कि०मी० 45.00 से 55.00 के बीच–बीच कुछ सुधार करते हुए Potless कराया गया, परन्तु निरीक्षण की तिथि तक कि०मी० 55.00 से 65.00 के बीच कई पॉट्स पाये गये। जिससे स्पष्ट होता है कि जून, 2017 में सम्पन्न BC कार्य जून, 2017 में ही अधिकांश

भागों में क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान से विभागीय पत्रांक–6813(ई) अनु० दिनांक–17.11.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. तदालोक में श्री पासवान के पत्रांक–शून्य दिनांक–01.12.2022 से अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् Bihar CCA Rules, 2005 के नियम–18(2) का संदर्भ देते हुए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–08.06.2017 एवं दिनांक–12.07.2017, जिसके आधार पर असहमति का बिन्दु सृजित किया गया है, कि प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन संचिका में संधारित नहीं होने के आलोक में संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त कर श्री पासवान को विभागीय पत्रांक–904 (एस) अनु० दिनांक–20.02.2023 से उपलब्ध कराते हुए पुनः उत्तर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5. श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01 औरंगाबाद के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–02.03.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के तहत् मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य/तर्क अंकित किये गये हैं :–

(i) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा निरीक्षण की तिथि दिनांक–08.06.2017 तक आलोच्य कार्य प्रगतिशील थी एवं दिनांक–12.07.2017 को बरसात जारी थी। अधीक्षण अभियंता के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित है कि "इस पथांश के कई जगहों पर सड़क के किनारे स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी सीधे बहाया जा रहा है एवं Crust से सटे भाग में पानी एकत्रित करने हेतु गड्ढा बना दिया गया है, जिससे पथ Crust फेल हो गया है।" निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–12.07.2017 में कि०मी० 56.00 से 65.00 पथांश में जहाँ–तहाँ BC फेल हुआ पाया गया अकित करते हुए इसे गुणवत्ता में कमी एवं समुचित पर्यवेक्षण का अभाव की मात्र संभावना व्यक्त किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान किसी भी कार्यमद की Specific जाँच नहीं कराई गई थी, जबकि कार्य, स्थानीय गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल द्वारा निर्माण सामग्रियों का गुणवत्ता जाँच अनुकूल पाये जाने के उपरान्त मेरे गहन पर्यवेक्षण एवं वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में तकनीकी विशिष्टि के अनुरूप संवेदक के माध्यम से सम्पादित कराया गया था।

(ii) वर्ष, 2017 में प्री मॉनसून की लगातार भारी बारिश होने तथा स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी पथ परत पर गिराने, पथ परत के सटे गड्ढा खोदकर पानी जमा करने इत्यादित के कारण दो–चार जगहों पर Pots उभर आये थे, जिसे DLP के तहत् संवेदक के व्यय पर तत्समय ठीक कराया गया था। इनके साक्ष्य आधारित इस तथ्य को संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

(iii) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि प्री मानसून के भारी वर्षा के कारण घनी बसावट वाले गाँवों तथा बाजारों में वर्षा का पानी पथ क्रस्ट तथा फ्लैंक पर जमा हो जाने के कारण दो चार जगहों पर पॉट्स हो गये थे, जिसका एक मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा अपने घर का नाला का पानी सीधे सड़क पर लाकर छोड़ दिया जाना था। अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश के अनुपालन में उक्त दो–चार पॉट्स (BC सतह फेल) का विशिष्टि के अनुसार संवेदक के व्यय पर ठीक करा दिया गया था।

(iv) आलोच्य कार्य SBD एकरारनामा के तहत् संपादित किया गया था तथा DLP से आच्छादित था। Centre Line Marking से संबंधित विपत्र न तो मेरे द्वारा तैयार किया गया था और न ही उसका संवेदक को भुगतान हुआ है।

(v) कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान पथों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर की जाती है तथा अनुकूल गुणवत्ता के बावजूद परिस्थितिजन्य Defect पाये जाने पर उसका सुधार करने हेतु निदेश प्राप्त होता है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ही Defect Liability Period (DLP) का प्रावधान है।

(vi) उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा आलोच्य पथांश से संग्रहित नमूनों की जाँच (thickness एवं Bitumen की मात्रा) के सभी जाँचफल निर्धारित tolerance limit के अनुरूप पाये गये अर्थात् कार्य तकनीकी रूप से विशिष्टि के अनुरूप कराया गया था। अतएव तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान परिलक्षित त्रुटियाँ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण आपदाजनित एवं परिस्थितिजन्य है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01 औरंगाबाद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप संख्या–(i) के संबंध में उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत् BC कार्य के क्षतिग्रस्त होने के लिए पथ परत पर बरसात के पानी का जमाव होना एवं स्थानीय लोगों द्वारा चापाकल का पानी पथ परत पर गिराने का कारण बताया गया है, जिसे अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण के बाद संवेदक के व्यय पर ठीक करा दिया गया। इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव–बयान से ही इस बात की पुष्टि होती है कि बाढ़ अगस्त, 2017 में आया था, जबकि इससे पूर्व ही अधीक्षण अभियंता के द्वारा जून–जुलाई माह में पथ के निरीक्षण के समय ही BC कार्य में काफी पॉट्स पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि जून माह में कराये गये BC कार्य जून माह में ही क्षतिग्रस्त हो गया। हालॉकि कालांतर में क्षतिग्रस्त पथांश को संवेदक के व्यय पर ठीक कराया गया है, परन्तु इससे आरोप की गंभीरता को कम करके आंका नहीं जा सकता है। इस प्रकार विभाग द्वारा इनके विरूद्ध गठित किये गये आरोप इस हद तक प्रमाणित होता है।

7. उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि **श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–01 औरंगाबाद** के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता एवं चूक बरती गयी है, जो कदाचार के श्रेणी में आता है। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत उनके विहित समानुपाति दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के तहत् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–130 सहपठित ज्ञापांक–6223(ई०) दिनांक–29.09.2023 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) **"दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर अंसचयात्मक प्रभाव से रोक"।**

8. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री पासवान के द्वारा अपील अभ्यावेदन–शून्य दिनांक–16.10.2023 समर्पित किया गया। जिस पर विभाग द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता उससे पूर्व ही श्री पासवान के द्वारा दण्डादेश को निरस्त किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-15077/2024 (वीरेन्द्र पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर कर दिया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.10.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition को Premature मानते हुए dismissed कर दिया गया एवं श्री पासवान के समर्पित अपील अभ्यावेदन को तीन महीने के अंदर निष्पादित करने का आदेश अपीलीय प्राधिकार को दिया गया।

9. श्री पासवान के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन–शून्य दिनांक–16.10.2023 में मुख्य रूप से विभागीय कार्यवाही से संबंधित घटनाक्रम को संक्षेप में उल्लेख करते हुए पूर्व में द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अंकित किये गये तथ्यों एवं तर्कों को ही नये सिरे से दूहराया गया है। श्री पासवान के विरूद्ध विभाग द्वारा जिन तथ्यों/तर्कों के आधार पर दण्ड अधिरोपित किया गया है, उसके संबंध में उनके द्वारा कोई भी नया तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है चूंकि श्री

पासवान के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में अंकित किये गये तथ्यों एवं तर्कों की विभाग द्वारा पूर्व में ही विवेचना की जा चुकी है, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपित का निर्णय लिया गया है, इसलिए पुनः इस पर नये सिरे से विचार करने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार श्री पासवान का अपील अभ्यावेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री वीरेन्द्र पासवान तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति पथ प्रमण्डल संख्या–01 औरंगाबाद के द्वारा विभागीय दण्डादेश के विरूद्ध समर्पित अपने अपील अभ्यावेदन दिनांक–16.10.2023 के संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/–

अपर मुख्य सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–42/2017 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, डेहरी–ऑन–सोन एट गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल संख्या–1, औरंगाबाद/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, संख्या–01 औरंगाबाद** को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–42/2017 669 (S) पटना, दिनांक 29/01/25

प्रतिलिपि :– IT Manager पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

28/1/2025

अवर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

28.01.25